

संख्या—३ए—३—भत्ता—०२/२०२२—...../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:—.....

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक—०१.०७.२०२३ के प्रभाव से २२१% के स्थान पर २३०% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०—६४३८/वि०, दिनांक—२४.०७.२०२३ के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक—०१.०१.२०२३ के प्रभाव से २२१% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

२. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक—१/३(१)/२००८-१.१(B), दिनांक—०६.११.२०२३ द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक—०१.०७.२०२३ के प्रभाव से २२१% से बढ़ाकर २३०% स्वीकृत किया गया है।

३. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

४. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि—

- (i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक—०१.०७.२०२३ के प्रभाव से २२१% के स्थान पर २३०% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।
- (ii) षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड—पे के योग) के आधार पर महँगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

- (iv) महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

हॉटेल

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः—३ए—३—भत्ता—०२/२०२२—_____ /विं

पटना, दिनांक:- _____

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः—३ए—३—भत्ता—०२/२०२२—_____ / वि०

पटना, दिनांक:- _____

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-३ए-३-भत्ता-०२/२०२२- /वि० पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एकजीविशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर० ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, श्री राम भवन, पाम ट्री के सामने, पटना/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फ्रेजर रोड, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, आर० ब्लॉक, चाणक्य टावर, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-३ए-३-भत्ता-०२/२०२२- /वि० पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता/राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-३ए-३-भत्ता-०२/२०२२- २८९३ /वि० पटना, दिनांक:- १५-०३-२०८५

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

१५/३/२०८५